

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

श्यामलाल

बनाम

शेरूलाल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 195/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
20/06/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>श्यामलाल</u></p> <p>पिता श्री <u>भांगीलाल जी भोई</u></p> <p>निवासी <u>भोई खेडा वार्ड 10</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>चित्तौड़गढ़</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>584, 585, 614/1, 620, 623, 627, 631, 632, 633, 636/1, 638, 643, 644, 698, 699, 703</u> कीता 16 रकबा 1.000 है तथा आराजी नम्बर <u>616, 650</u> कीता 2 रकबा 0.1400 है कुल कीता <u>16+2=18</u> कुल रकबा <u>1.1400</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>चित्तौड़गढ़</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>584, 585, 614/1, 620, 623, 627, 631, 632, 633, 636/1, 638, 643, 644, 698, 699, 703</u> कीता 16 रकबा 1.0000 है तथा आराजी नम्बर <u>616, 650</u> कीता 2 रकबा 0.1400 है कुल कीता <u>16+2=18</u> रकबा <u>1.1400</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000-000</u> रूपये अक्षरे <u>एक हजार</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(रामचन्द्र खटीक) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़</p>